न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5830/2004/जैसलमेर

दमाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी भीयासर तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

....**अपीलार्थी/वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर

....**प्रत्यर्थी/प्रतिवादी**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सतीश चन्द गोदारा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे.के.पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्रीमति पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांकः– 12–07–2019

हस्तगत् द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा अपील सं. 04/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–9–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को संतोषप्रद मानते हुए इस द्वितीय अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर जैसलमेर के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 व 89 बाबत ग्राम भीयासर स्थित विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 148/576 रकबा 39 बीघा भूमि के संबंध में प्रतिवादी जिला कलक्टर जैसलमेर व तहसीलदार फतेहगढ के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का तहसीलदार फतेहगढ ने अपना जवाबदावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी की किस्म बंजड है जो काबिल काश्त नहीं है, अतः वादी का उक्त भूमि पर कोई कब्जाकाश्त वक्त भू प्रबन्ध होना नहीं माना जा सकता। खसरा संख्या 148/576 सिवायचक दर्ज होने के उपरान्त वादी का कब्जा होता तो अवश्य ही अतिक्रमण दर्ज होकर खसरा परिवर्तनशील में दर्ज होता व धारा 91 की कार्यवाही चलती। वादी की पूर्व में 172-10 बीघा समरी रेकार्ड के अनुसार थी जो अब 180-07 बीघा है जो सही है। अतः वादी का वाद चलने काबिल नहीं होने से मय खर्चे खारिज किया जावे। कालान्तर में दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने दादरसी सहित 3 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 30-10-2000 से वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में विवेचित किया कि वादी ने किसी भी तनकियात को सिद्ध नहीं किया है, तदनुसार वाद खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर-जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 28-09-2001 द्वारा खारिज कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में विवेचित किया कि अपीलार्थी का उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त तथा राजस्व रेकार्ड में रकबा कम दर्ज होने बाबत साबित नहीं होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30-10-2000 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व

डिक्री दिनांक 28–09–2001 से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। उनका कहना है कि वादी ने विवादित आराजी पर अपनी खतोदारी को मौके व मौखिक साक्ष्य व बंदोबस्त रेकार्ड अनुसार साबित किया है। इसके अतिरिक्त वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष नक्शा ट्रेस व क्षेत्रफल तुलनात्मक समरीन का इन्द्राज व वर्तमान बंदोबस्त के इन्द्राज खसरा संख्या 129 हाल खसरा संख्या 148 में 196 बीघा रकबे पर अपना कब्जाकाश्त साबित किया। उनका तर्क है कि वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य व नक्शा ट्रेस अनुसार यह साबित किया है कि खसरा संख्या 148 के शेष रकबे का बटा नम्बर 148/576 रकबा 39 बीघा कायम कर सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया है, जबकि उक्त रकबा अपीलार्थी के कब्जेकाश्त की खातेदारी की आराजी है। उनका यह भी तर्क है कि जैसलमेर जिले में पूर्व में समरी बंदोबस्त व बाद में बंदोबस्त होने पर समरी बंदोबस्त व बंदोबस्त के दौरान अन्दाज से रेकार्ड में अमल दरामद किया गया, जबकि अपीलार्थी का खसरा संख्या 129 के 196 बीघा रकबे पर समरी बंदोबस्त के समय से ही काबिज चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 129 के ही नये नम्बर 146, 147, 148 व 148/576 कायम किए गए है, जिनमें खसरा संख्या 146 रकबा 7 बिस्वा में अपीलार्थी की ढाणी, खसरा संख्या 147 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा, 148 रकबा 157 बीघा पर्चा लगान में अपीलार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गई है और खसरा संख्या 148/576 रकबा 39 बीघा सिवायचक दर्ज कर दिया गया, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। सारांशतः मामले में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध रेकार्ड के परे जाकर अपने निर्णय व डिक्री पारित किए है जो कि इस द्वितीय अपील के माध्यम से

निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–09–2001 व सहायक जिला कल्क्टर जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–10–2000 को अपास्त करते हुए वादी/अपीलार्थी का मूल वाद स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को सारहीन होना कथित किया है तथाा बताया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध रेकार्ड का विधिवत परीक्षण करते हुए अपने निर्णय व डिक्री पारित किए है, जो कि विधि सम्मत है। उनका कहना है कि विवादित आराजी की किस्म बंजड है जो काबिल काश्त नहीं है, अतः वादी का उक्त भूमि पर कोई कब्जाकाश्त वक्त भू प्रबन्ध होना नहीं माना जा सकता। खसरा संख्या 148/576 सिवायचक दर्ज होने के उपरान्त वादी का कब्जा होता तो अवश्य ही अतिक्रमण दर्ज होकर खसरा परिवर्तनशील में दर्ज होता व धारा 91 की कार्यवाही चलती। वादी की पूर्व में 172–10 बीघा समरी रेकार्ड के अनुसार थी जो अब 180–07 बीघा है जो सही है। अतः वादी का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। उनका तर्क है कि वादी का सम्वत 2053–54 में 15 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानान्तर्गत पारित किए जाने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी की इस द्वितीय अपील को खारिज करते हए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

8. प्रस्तुत द्वितीय अपील में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या बंदोबस्त के दौरान अपीलार्थी/वादी की भूमि का रकबा कम किया गया है अथवा नहीं? पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने विवादित आराजियात बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त तथा राजस्व रेकार्ड में रकबा कम होने के क्रम में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया जाना प्रदर्शित होता है। रेकार्ड में उपलब्ध तुलनात्मक रजिस्टर के अनुसार समरी बंदोबस्त का खसरा संख्या 129 रकबा 172 बीघा 10 बिस्वा अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज था। कालान्तर में उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा संख्या 146, 147, 148 में खसरा संख्या 148 का रकबा 157 बीघा दर्ज किया गया है, जो कि अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त अभिलेख के अतिरिक्त अपने रकबे के कम हो जाने के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार का दस्तावेजी रेकार्ड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। इसके विपरीत सम्वत 2053 में अपीलार्थी का 15 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा रेकार्ड से प्रतीत होता है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सरकारी भूमि दर्ज है।

9. उपलब्ध सम्पूर्ण रेकार्ड का विधायिका की भावना के अनुसार परीक्षण करने पर हम पाते है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का मूल वाद एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को खारिज करने में किसी विधि का उल्लंघन या अपनी क्षेत्राधिकारिता का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि सम्मत है।

10. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार द्वितीय अपील के स्तर पर जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाना समीचीन प्रतीत होता है।

12. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–09–2001 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द गोदारा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य